न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

37

प्रकरण कमांक निगरानी 3544–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, भोपाल प्रकरण कमांक 117/निगरानी/10–11.

1– मोहम्मद ताहिर आत्मज मोहम्मद इसराईल
निवासी ई–75, बी.डी.ए. कॉलौनी,
कोहेफिजा, भोपाल
2– मोहम्मद नासिर आत्मज मोहम्मद इसराईल
3– मोहम्मद अनवार आत्मज मोहम्मद इसराईल
4– मोहम्मद असलम आत्मज मोहम्मद इसराईल
5– मोहम्मद अकरम आत्मज मोहम्मद इसराईल
निवासीगण 24, शरीफ मेंशन
कबीट वाली मस्जिद के सामने
इब्राहिमपुरा, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्यामसुंदर आत्मज स्व आसुदोमल
निवासी 8, निर्मल नर्सरी कम्पाउण्ड
बैरागढ़, भोपाल
2– परमानंद आत्मज मिरचुमल
निवासी 12 सनसिटी कॉलौनी, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/6/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, वृत बैरागढ़ जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत उनके स्वत्व, स्वामित्व की भूमियों के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–12/09–10 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 17–9–10 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 23–4–12 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में आवेदकगण को सूचना नहीं दी गई है, और उनकी अनुपस्थिति में किया गया सीमांकन निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि जिस बटान के आधार पर सीमांकन कार्यवाही की गई है, वह बटान ही निरस्त हो गया है, ऐसी स्थिति में सीमांकन आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना दी गई है, जिसमें तामीली भी आवेदकगण पर हुई है, और आवेदकगण द्वारा उपस्थित होकर आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी भी अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त की गई है, इसलिए भी यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदकगण को जारी सूचना पत्र मोहम्मद असलम के द्वारा प्राप्त किया गया है और आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जिन पर तहसीलदार द्वारा विचार किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण की ओर से जिन आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है,

उन्हीं आधारों पर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त हुई है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर